

प्रणाम

महाआरती

स्थानः मैहर माता मंदिर धाम
समयः सुबह पांच बजे
आयोजकः शारदा प्रबंधन समिति।

हमें दें कार्यक्रमों की सूचना

सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिकी आदि आयोजनों से जुड़ी जानकारी हमें नंबर 94528-46261 पर वाट्सएप करें।

एक नजर में

स्ट्रीट लाइट की केबल जली मुख्य मार्ग की रोशनी गुल

रामनगर : नगर परिषद रामनगर के मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट की केबल में आग लगने से कई मीटर तार जल गया। घटना के बाद स्ट्रीट लाइटें और तिरंगा लाइटें बंद हो गईं, जिससे मार्ग पर अंधेरा छा गया। कुछ दिन पहले देर रात हुई इस घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं है। नगर सौंदर्यीकरण योजना के तहत लगाई गई लाइटों की केबल में आग के बाद उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। संबंधित संविदाकार ने आशंका जताई कि आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है। उनका आरोप है कि सौंदर्यीकरण कार्य को बदनाम करने का प्रयास किया गया।

रामघाट में बाहर से आई बसों से अवैध वसूली का आरोप

चित्रकूट : उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित रामघाट क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा बाहर से आने वाली बसों से कथित अवैध वसूली किए जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में कथित वसूली को लेकर लोगों को विरोध करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद यातायात व्यवस्था और बाहरी वाहनों से वसूली के आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, प्रसारित हो रहे इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो कब का है, इसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं और पूरा घटनाक्रम किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है।

गुमशुदगी के बाद कुएं में मिला 34 वर्षीय युवक का शव

मैहर : बदेरा थाना क्षेत्र में 34 वर्षीय इंद्रपाल चौधरी उर्फ पुत्ती चौधरी का शव कुएं में उतराता मिला। उनकी पहचान रामजी चौधरी के पुत्र के रूप में हुई है। इंद्रपाल के लापता होने के बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की सूचना दी थी। पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। शव मिलने की सूचना पर बदेरा पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इंद्रपाल किन परिस्थितियों में कुएं तक पहुंचे। उनकी मौत दुर्घटनावश कुएं में गिरने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस उनके लापता होने और शव मिलने के बीच की घटनाओं की पड़ताल कर रही है।

चार वाहनों को टक्कर मार आर्किटेक्ट के कार्यालय में घुसा बेकाबू कंटेनर

दुर्घटना ● दो लोग घायल, ई-रिक्शा, स्कूटी और बाइक क्षतिग्रस्त, चालक गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतनाः शहर के स्टेशन रोड पर मंगलवार दोपहर एक अनियंत्रित मिनी कंटेनर ट्रक ने जमकर तबाही मचाई। प्रेम नर्सिंग होम के पास बेकाबू हुए कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े दो स्कूटी, एक स्पोर्ट्स बाइक और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके बाद वाहन आर्किटेक्ट आशीष जैन के कार्यालय में जा घुसा। हादसे में ई-रिक्शा चालक उमेश दहिया (30) और कियोस्क सेंटर के बाहर खड़ी क्षमा पाठक (22) घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। हादसे में वाहनों के साथ दुकान और कार्यालय का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।


दुकान के अंदर जाकर घुसा हुआ मिनी कटेनर। ● नईदुनिया


पुलिस को नुकसान की जानकारी देता कार्यालय का संचालक। ● नईदुनिया

एक के बाद एक वाहनों को मारी टक्करः प्रत्यक्षदर्शियों व पुलिस के मुताबिक, मिनी कंटेनर चालक अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कंटेनर सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए कार्यालय में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा समेत अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचा। दुकान का दरवाजा, बोर्ड और अन्य सामान भी टूट गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

रीवा से कुरियर डाक लेकर आया था कंटेनरः जानकारी के अनुसार, कंटेनर रीवा से कुरियर डाक लेकर सतना आया था। वाहन पर डीटीडीसी कुरियर सर्विस का नाम बताया जा रहा है। पुलिस ने कंटेनर क्रमांक सीजी 04 एमटी 0756 को जब्त कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी हेमंत शर्मा ने बताया कि हादसे में तीन से चार बाइक सहित दुकानदार का दरवाजा और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। चालक के पास वाहन के दस्तावेज नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। वाहन को जबलपुर की जय भोले कंपनी का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

देर शाम नो इंट्री में घुसा कंटेनर : शहर के सर्किट हाउस चौक पर शाम के समय नो एंट्री में ट्रक के प्रवेश का मामला यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। सामने आई तस्वीर में नो एंट्री के दौरान ट्रक चौक पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि मौके पर पुलिसकर्मी और यातायात हवलदार भी मौजूद हैं। इसके बावजूद भारी वाहन का शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचना व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े करता है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए नो एंट्री व्यवस्था लागू की जाती है, ताकि व्यस्त सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके। ऐसे में प्रतिबंधित समय में ट्रक का प्रवेश कैसे हुआ, यह जांच का विषय है। क्या वाहन को प्रवेश की अनुमति थी या नो एंट्री के नियमों की अनदेखी हुई, इसका जवाब संबंधित विभाग को देना चाहिए। तस्वीर में पुलिस और यातायात कर्मियों की मौजूदगी के बीच ट्रक का खड़ा होना व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

फ्लाईओवर के नीचे खुदी सड़क बन गई मुसीबत घरों में कैद हुए रहवासी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतनाः शहर के मारुति नगर फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले रहवासी इन दिनों सड़क की बदहाली और निर्माण कार्य में कथित लापरवाही से परेशान हैं। यहां सड़क खोदकर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिए जाने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि रहवासी न तो आसानी से अपने घरों से बाहर जा पा रहे हैं और न ही घरों तक पहुंचने में उन्हें सुविधा मिल रही है। आरोप है कि ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया। इसके बाद से रहवासी परेशान हैं और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। सड़क पर फैली मिट्टी, मलबे और गड्ढों के कारण रोजमर्रा के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। मारुति नगर की यह समस्या शहर में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। कई स्थानों पर सड़क के गड्ढे और निर्माण के बाद बचा मलबा लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। सवाल यह है कि निर्माण कार्य शुरू करने के बाद उसे समय पर पूरा कराने और नागरिकों के आवागमन की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? रहवासियों की मांग है कि संबंधित विभाग तत्काल मौके का निरीक्षण कर सड़क को आवागमन योग्य बनाए और अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराए, ताकि लोगों को रोजाना की परेशानी से राहत मिल सके।


सीसीटीवी कैमरें में कैद हुआ एटीएम के अंदर रुपये पार करने वाला युवक।

एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 65 हजार रुपये कर दिए पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतनाः एटीएम से रुपये निकालने में मदद करने के बहाने एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक का कार्ड बदल दिया और उसके खाते से 65 हजार रुपये निकाल लिए। घटना 24 अक्टूबर की शाम कोठी बस स्टैंड स्थित एटीएम की बताई जा रही है। ठगी का पता मोबाइल पर रुपये निकाले जाने का संदेश आने के बाद चला। पीड़ित ने कोठी थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, मैहर जिले के कोठी क्षेत्र के ग्राम कृपालपुर निवासी राकेश बसोर 24 अक्टूबर की शाम कोठी बस स्टैंड स्थित एटीएम में रुपये निकालने और खाते का बैलेंस चेक करने पहुंचा था। वहां पहले से मौजूद एक अज्ञात युवक ने मदद करने की पेशकश की। इस दौरान राकेश ने उसे अपना एटीएम पिन बता दिया। आरोप है कि बैलेंस चेक करने के बाद युवक ने चालाकी से राकेश का एटीएम कार्ड बदलकर उसे दूसरा कार्ड थमा दिया और वहां से चला गया। कुछ समय बाद राकेश के मोबाइल पर खाते से रुपये निकाले जाने के संदेश आए। जानकारी करने पर पता चला कि उसके खाते से 65 हजार रुपये निकाले जा चुके हैं। यह देखकर वह घबरा गया और तत्काल उसी एटीएम पर पहुंचा, जहां उसने अज्ञात युवक से मदद ली थी। आसपास खोजबीन करने के बावजूद संबंधित व्यक्ति का कोई पता नहीं चला।

शिकायत में पीड़ित ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उसके पास मिला कार्ड किसी सुधा पटेल के नाम का बताया गया है।

लंबित प्रकरणों को समय पर निपटाएं



विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते कलेक्टर। ● नईदुनिया

नईदुनिया न्यूज, पन्नाः पन्ना। नवागत कलेक्टर हर्ष सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी टीएल बैठक में संबंधित विभागों के जिलाधिकारी ही उपस्थित रहें। 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन मामलों के निराकरण में लापरवाही पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। विभाग प्रमुख स्वयं नियमों और निर्देशों से अवगत रहें, योजनाओं के लक्ष्य पूरे करें और अधीनस्थों के भरोसे न रहें। उन्होंने बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा, जनसुनवाई आवेदनों के प्राथमिकता से निराकरण और पुराने मामलों पर ध्यान देने को कहा। बड़े विभाग हर 15 दिन में गतिविधियों की समीक्षा करें। नागरिक सेवाओं के आवेदन समयसीमा से बाहर न हों और विभाग अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों का निराकरण करें।

कलेक्टर ने हर माह खाद्यान्न वितरण समय पर कराने और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम दुकानों का निरीक्षण करें। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन, उपार्जित स्कंध का समय पर उठाव व परिवहन और उच्च न्यायालय के लंबित मामलों में समय से जवाबदावा दाखिल किया जाए। स्वामित्व योजना की नियमित निगरानी, भूमि आवंटन मामलों में प्रभावी कार्रवाई और संबल योजना के आवेदन केवल आनलाइन स्वीकारने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की शिकायतों का तय समय में निराकरण करने को कहा। खराब सड़कों और ट्रक चालकों की तेज रफ्तार तथा नियमों की अनदेखी पर चिंता जताते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी को एक सप्ताह में चालकों का नेत्र परीक्षण कराने को कहा। आरटीओ वाहन मालिकों के साथ बैठक करें। बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्रों के रिक्त बेड, एंबुलेंस, आधार पंजीयन, सेवा स्वत्वों और विभागीय समन्वय की भी समीक्षा हुई।

सिमरिया में 239 लीटर अवैध शराब जब्त, दो आरोपित गिरफ्तार

नईदुनया न्यूज, पन्नाः थाना सिमरिया पुलिस ने ग्राम आमघाट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 239.04 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जप्त की है। जप्त शराब की कीमत 1,79,280 रुपए है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जितेन्द्र सिंह गौर के मकान में दबिश दी। तलाशी में कमरे से 27 कार्टून मिले, जिनमें गोवा कंपनी के 1328 क्वार्टर बरामद हुए। मौके से जितेन्द्र सिंह गौर (28) निवासी आमघाट और कमलेश लोधी (32) निवासी हरदुआ ब्यरमा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने शराब गैसाबाद निवासी वीरेन्द्र पटेल से खरीदना बताया। पुलिस ने वीरेन्द्र को सह-आरोपी बनाया है और तलाश जारी है।

आरोपितों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 42 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

संगठन विस्तार और मजबूती पर की चर्चा

● सवर्ण अधिकारी-कर्मचारी एवं सामान्य वर्ग उत्थान संगठन की बैठक का आयोजन


बैठक में शामिल हुए सवर्ण समाज के नागरिक। ● नईदुनिया

नईदुनिया न्यूज, अजयगढ़ः नगर के प्रसिद्ध बघराजन मंदिर के सभागार में सवर्ण अधिकारी-कर्मचारी एवं सामान्य वर्ग उत्थान संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी के मुख्य आथित्य में संपन्न हुई।जिला संयोजक रवि रावत एवं तहसील कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक तिवारी सहित विशेष सहयोगी सरपंच राजेंद्र सिंह और संभाग सचिव हरीश गुप्ता के आयोजन में अजयगढ़ खदियन हनुमान मंदिर परिसर में पूर्व प्रस्तावित बैठक को लेकर 65 पंचायतों में निवासरत सवर्ण समाज के भाईयो को आमंत्रित कर विशाल बैठक हेतु स्व प्रेरणा से जिम्मेदारी लेने हेतु सवर्ण अधिकारी कर्मचारी एवं सामान्य वर्ग उत्थान संगठन के सक्रिय पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें मुख्य अतिथि इंजीनियर अजय तिवारी रहे उपस्थिति सभी ने ग्राम पंचायत वार आमंत्रण की जिम्मेदारी ली साथ ही संकल्प लिया कि अजयगढ़ में एक विशाल संघ व्यूह रचना की जाएगी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ वैश्य जैन जो भी सामान्य वर्ग में आते है एक एक को जोड़ा जाएगा बैठक के आयोजक रवि रावत और तहसील कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक तिवारी ने कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया बैठक में संरक्षक लाल बहादुर चौबे और श्यामबिहारी गर्ग ने उपस्थिति सभी को जिम्मेदारी वितरित की।बैठक में संगठन के विस्तार, समाज के लोगों को जोड़ने तथा आगामी कार्यक्रमों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।बैठक में संगठन की एकजुटता बनाए रखने,आपसी समन्वय बढ़ाने तथा समाज के लोगों को संगठित कर संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। सदस्यों ने समाज के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने और संगठन की गतिविधियों का विस्तार करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी,जिला संयोजक रवि रावत,वरिष्ठ सदस्य लाल बहादुर चौबे,कार्यकारी ब्रजेश गुप्ता, आदित्य रिछारिया, रावेन्द्र तिवारी, रामनारायण मिश्रा, दिनेश चौबे, महेंद्र, देवदत्त शुक्ला, मोती मिश्रा सहित संगठन के अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

जिला जेल में दिव्या अहिरवार ने जमानत लेने से किया इनकार, वृंदा करात और अमित भटनागर से मुलाकात

- चिता आंदोलन के 46वें दिन आक्रोश रैली
- आठ विस्थापित गांवों में खटिया चौपाल का आयोजन


आंदोलनकारियों को संबोधित करतीं पूर्व राज्यसभा सदस्य ।● नईदुनिया

नईदुनिया न्यूज, पन्ना/अजयगढ़ः केन-बेतवा परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास के सवाल पर चिता आंदोलन तेज होता जा रहा है। 28 दिन का आमरण अनशन समाप्त कर आंदोलन स्थल लौटे अमित भटनागर के साथ प्रभावित परिवारों की लामबंदी बढ़ी है। इसी बीच जेल में बंद महिला आंदोलनकारी दिव्या अहिरवार ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उनसे मिलने पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात और अमित भटनागर से दिव्या ने कहा कि वह जेल में रहकर ही न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। चिता आंदोलन के समर्थन में पन्ना पहुंचीं वृंदा करात मंगलवार को अमित भटनागर के साथ जिला जेल में दिव्या से मिलीं। दिव्या ने आरोप लगाया कि आदिवासियों और किसानों के हित में कानून की बात उठाने के कारण उन्हें निर्दोष होने के बावजूद जेल भेजा गया। उन्होंने गिरफ्तारी के तरीके, पुलिस हिरासत में कथित प्रताड़ना, मेडिकल परीक्षण नहीं कराने और बयान दर्ज नहीं करने पर सवाल उठाए। दिव्या ने कहा कि उनकी विधवा मां गुहार लगाती रहीं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि अब वह जेल के भीतर रहकर न्याय की आवाज उठाएंगी। 24 अक्टूबर को पन्ना में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली और कलेक्ट्रेट घेराव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, झाबुआ विधायक और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. विक्रांत भूरिया सहित कई नेताओं ने रैली में हिस्सा लिया। अगले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अमित भटनागर और प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। आंदोलनकारियों का कहना है कि आमरण अनशन स्थगित हुआ है, संघर्ष नहीं। न्याय, उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के 46वें दिन आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित पन्ना जिले के आठ गांवों के विस्थापित परिवारों की खटिया चौपाल हुई। परिवारों ने मुआवजे, पुनर्वास, कानूनी प्रक्रियाओं और अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए। उनका आरोप है कि वर्षों से बसे गांवों को पुलिस बल के सहारे उजाड़ा गया और उन्हें पर्याप्त न्याय नहीं मिला। चौपाल में वृंदा करात ने भाजपा सरकार और पन्ना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी परिवारों को उजाड़ना और उनके अधिकारों की अनदेखी करना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आंदोलन को भोपाल से राष्ट्रीय स्तर तक समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई।

विस्थापितों की समस्याओं और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों के संबंध में वृंदा करात ने पुलिस अधीक्षक से मिलने का प्रयास किया। एसपी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वृंदा करात और अमित भटनागर ने नवागत कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात की। ज्ञापन में केन-बेतवा, रुंझ बांध और ललितपुर-सिंगरौली रेलमार्ग सहित विभिन्न परियोजनाओं में कथित गैरकानूनी बेदखली, नियमों के उल्लंघन, मुआवजे और पुनर्वास के सवालों के साथ आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों का उल्लेख किया गया।

दुर्गा विसर्जन के चंदे के हिसाब को लेकर विवाद के बाद हुई मारपीट

नईदुनिया न्यूज, अमानगंजः पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतनपुरा के गौड़याना मोहल्ले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चंदे का हिसाब-किताब करने के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। फरियादी संतोष आदिवासी (45), निवासी गौड़याना मोहल्ला रतनपुरा, की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चंदे का हिसाब-किताब किया जा रहा था। इसी दौरान विष्णु आदिवासी और हक्कू आदिवासी कथित तौर पर वहां पहुंचे और हिसाब-किताब को लेकर विवाद करने लगे। आरोप है कि गाली-गलौज का विरोध करने पर फरियादी के साथ मारपीट की गई। बीच-बचाव करने आए लोगों के सामने भी विवाद बढ़ गया, जिसमें फरियादी के सिर में चोट आई और खून निकलने लगा।फरियादी ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान अन्य लोगों ने भी उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की। घटना के बाद उसने अमानगंज थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

चल संपत्तियों का विक्रय नोटिसः ई-नीलामी दि. 19/11/2026
क्षेत्रीय कार्यालयः शहडोल, द्वितीय तल, लक्ष्मी टावर, न्यू बस स्टैंड रोड, शहडोल (म.प्र.)-484001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम,2002 के नियम 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है की नीचे वर्णित चल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है''** एवं **''दायित्व रहित''** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति - दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

ऋणखाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति- दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग/बकाया राशि	दृष्टिबंधक चल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1. मेसर्स आराध्य गृह उद्योग प्रोप श्री प्रिंस कुमार शाह पिता श्री हीरा लाल शाह पता :-कॉलेज मार्ग घुरितल बेढ़न सिंगरौली मध्य प्रदेश संबंधित शाखा : सिंगरौली मो:-88400 96468	**58,52,686/-** + ब्याज + विधिक व्यय	**दृष्टिबंधक चल संपत्ति विवरण :-** 1. Flavoring mixing drum complete celery tank, 2.Pola cutter machine with panel 3.Dough mixer machine 4.Bhujia machine 5.Puff extrusion machine- Coller Type Packing Machine 6.Outfeed conveyor 7.Coding 8.Air Compressor 9.Raw Material mixer 10.Puff extrusion machine 11.Tray support with cutter 12.Online rotary roaster 13.Coating Pan 14.Hydro Machine 15.Rectangular batch tilting fryer with diesel burner 16.MS pipe, GP/GC/MS Sheets MS angles, Sq bar, Sheet & Plate 17.Iron Shed Structure **भौतिक कब्जा**	**11,00,000/-** **1,10,000/-** **5,000/-**

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbank.bank.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल http://baank.net.com पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ई मेल- recvshahro@centralbank.bank.in) या **प्राधिकृत अधिकारी (मोब:-91-9693096247)** से सभी कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते है। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : **संबन्धित शाखा सिंगरौली (मो.91-88400 96468)** से बैंकिंग कार्यदिवसों मे कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबन्धित शाखा से संपर्क कर दिनांक **03/11/2026 से 07/11/2026** को कर सकते हैं उपरोक्त सभी से संबन्धित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन 15 दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है। इकाई पर किसी भी प्रकार के देय / बकाया कर (टैक्स) एवं अन्य देयताओं को केता को अलग से चुकाना होगा। इकाई पर लगने वाले किसी भी प्रकार के कर (टैक्स) या अन्य देयताओं को को चुकाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा।

दिनांक : 27.10.2026, स्थान : शहडोल (म.प्र.) **कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी**